**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰**
**प्रकरण संख्या 117 / 2024 (उदयपुर डिक्री)**

श्रीमती रामकुंवर पत्नी हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी मोतीखेड़ा, सोलंकियों का वाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. भैरूसिंह पिता नाथूसिंह जी राजपूत, निवासी मोतीखेड़ा, सोलंकियों का वाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. नरपतसिंह पिता नाथूसिंह जी राजपूत, निवासी मोतीखेड़ा, सोलंकियों का वाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. कुन्दनलाल पिता मांगीलाल जी चोर्डिया, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 13.08.2022 प्र.सं. 86 / 2018

———/———

उपस्थित :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री भंवरसिंह राव अभिभाषक रे.सं. 1 ,2

———::———

**निर्णय** **दिनांक 06–02–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोतीखेडा में आराजी नंबर 1561 / 3145, 3103, 3106, 3115 से 3117, 3144, 3145, 3160 से 3162, 3168, 3172 कुल किता 13 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 65 / 229 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 144 / 229 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 20 / 229 हिस्सा होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से वादिया को भारी असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 24–11–2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–08–2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–10–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरसिंह राव उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को अंतिम डिक्री से पूर्व सुना नहीं गया है, जिससे उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 20–08–2024 को नोटिस मिलने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपील करीब 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने तमाम न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए। तद्नुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत देरी को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा तहसील में बैठ कर ही रिपोर्ट बनायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, जिसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकरण में दिनांक 22–09–2022 की पेशी नियत थी, किन्तु अपीलान्ट को बिना सूचना दिये इससे पूर्व ही दिनांक 13–08–2022 लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री जारी की गई जो त्रुटि पूर्ण है। इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त वादी के कब्जे की भूमि विभाजन में प्रतिवादी को दे दी गयी है तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–08–2022 अपास्त की जावे तथा तहसीलदार को मौके पर स्वयं पक्षकारों को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर तथा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 28–06–2022 अनुसार दिनांक 22–09–2022 की पेशी नियत थी, किन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 08–08–2022 को प्रकरण राजस्व कैम्प में दिनांक 13–08–2022 को रखे जाने का अंकन करते हुए दिनांक 13–08–2022 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी है तथा बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जारी अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 26–02–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार मावली पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति स्वयं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04–04–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 06–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर